प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.12.2025

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया श्रीमती फरजाना पत्नी स्व0 अहसान निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादिया के पति अहसान पर धारदार हथियार से हमला करना तथा अहसान द्वारा विरोध करने पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर उनकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं-191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3)/103(1)/61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त 1.मेजर उर्फ जावेद पुत्र आबिद 2.सुहेल पुत्र साबिर व दिनांक 30.10.2025 को अभियुक्त रासिद पुत्र सियालत व दिनांक 12.11.2025 को अब्दुल्ला पुत्र इंसाफ व दिनांक 07.12.2025 को दानिश पुत्र नसीबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 26.12.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सादिम पुत्र सियालत निवासी मौ0 ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि हमारा पूर्व से अहसान के साथ विवाद चल रहा था, मेरे भतीजे को मारने वाला अहसान जमानत पर बाहर आया हुआ था तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अहसान को मारने की साजिश रची थी, साजिश के तहत मैं अपने बचाव के लिये अस्पताल में भर्ती हो गया था व दिनांक 16.10.2025 को विश्वकर्मा बस्ती

मोदीनगर क्षेत्र मेरे साथियों ने एक राय होकर अहसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौका देखकर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादिम पुत्र सियालत निवासी मौ0 ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में थाना भोजपुर पर 01 गौवध अधि0, 01 गैगस्टर एक्ट व 01 मारपीट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त को मय चोरी 11 मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार

दिनांक 26.12.2025 की मध्य रात्रि में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग, गश्त एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान की गई लोहिया नगर एवं पटेल नगर चौकी की संयुक्त कार्यवाही में कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सिहानीगेट पर धारा 317(2), 317(4), 317(5), 3/5 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों द्वारा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र अंधेरी गलियाँ, पार्किंग, फ्लैट/सोसायटी के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें बाज़ार, अस्पताल और रोड साइड पार्किंग जैसी जगहें रात के समय तथा सुबह-सुबह अधिकतर वारदात करना स्वीकार किया, रेकी कर आसानी से उठाई जा सकने वाली बाइकें चुनते थे , 30–60 सेकेंड में लॉक तोड़ने/हॉट-वायरिंग का प्रयोग करते थे तथा चोरी के बाद तुरंत रूट बदलकर दूसरे क्षेत्रों में ले जाते थे कितने रुपये में बेचते थे प्राथमिक पूछताछ में बताया कि ये वाहन 5,000 से 10,000 तक में बेच दिए जाते थे (बाइक की हालत/मॉडल के अनुसार) सभी अभियुक्तों द्वारा अपने आर्थिक लाभ, शौक-एश / व्यक्तिगत खर्च / नशे की पूर्तितथा आसान पैसे कमाने की लालच बताया गया। इनके द्वारा में नोएडा, कविनगर, क्रासिंग रिपब्लिक से 20 मो0सा0 चोरी कर पूर्व में बेच चुके हैं।

मिस्त्री (Mechanic) की भूमिका

मिस्त्री फूल सिंह इंजन-चेसिस नम्बर घिसकर/छुपाकर,फर्जी नम्बर प्लेट लगाता था हैंडल-लॉक/इग्निशन बदल कर नई चाबी तैयार कर देता था कुछ वाहनों के कल-पुर्जे खोलकर अलग-अलग बेचने की बात स्वीकार की

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 11 मोटरसाइकिल/बुलेट (विभिन्न कम्पनियों की) बरामद हुई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

1.बुलट रायल इनफिल्ड रजि0न0 UP-79-AE-2102 चेसिस न0-ME3J3C5FNR2004067 व इंजन न0 J3A5FNR2006845 सम्बन्धित मु0अ0सं0-609/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

2. मो0सा0 रजि0न0 UP-14-EF-3443 चेसिस न0 MBLHAW081KHK72263 व इंजन न0 HA10AGKHK91562 सम्बन्धित मु0अ0स0 778/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद

3. बुलट रजि0न0 UK-06-BA-6052 चेसिस न0 ME3U3S5F2MA050405 इंजन नम्बर U3S5F1LN669634 सम्बन्धित मु0अ0सं0-026023/25 थाना शास्त्रीपार्क नोर्थ ईस्ट दिल्ली

4.मो0सा0 रजि0न0 UP-13-CQ-9330 चेसिस न0 MBLJAU024RGL17505 इंजन नम्बर JA07AVRGL16530 सम्बन्धित मु0अ0सं0-351/2025 थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद

5. मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 UP-14-ES-1160 चेसिस न0 MBLHAW129MHC01523,,,, इंजन न0 HA11EDMHC31239

6.मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 DL-5-SCR-9708 चेसिस न0 MBLHAW124MHH02447 इंजन न0 HA11EDMHH41282

7.मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 UP-34-BL-5623 चेसिस न0 MBLHAW111MHJ45744 इंजन न0 HA11EVMHJ30864

8.मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 DL-1-ST-5250 चेसिस न0 MBLHA10EJA9A08796 इंजन न0 HA10EAA9A16424

9.मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 UP-16-BH-0825 चेसिस न0 MD2A74BZ3GRC39659 इंजन न0 JHZRGC40189

10.मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 UP-14-EP-7051 चेसिस न0 MBLHAW115LHKB9824 इंजन न0 HA11EVLHKF0760

11. मो0सा0 स्पलेण्डर रजि0न0 UP-14-D-7131 चेसिस न0 MBLHAR087JHH76**** (अपूर्ण)

नाम पता अभियुक्त-

1.वंश पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ,हाल पता पीएनबी बैक के पास नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

2.गजराज पुत्र नाथूराम निवासी म0न0 86 तृतीय तल सी ब्लाक गोविन्दपुरम थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद

3.सोनू उर्फ विशाल पुत्र कुँवरपाल निवासी म0न0 718 गली नं 08 त्यागी चौक के पास घूकना थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

4.फूल सिंह पुत्र दरियाई सिंह निवासी पीएनबी बैक के पास नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सोनू उर्फ विशाल उपरोक्त विरूद्ध पूर्व में थाना नन्दग्राम पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त वंश उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना नन्दग्राम पर अपहरण का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त फूल सिंह व गजराज उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग के अलावा पूर्व में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

कोहरे के दृष्टिगत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात), पुलिस उपायुक्त–यातायात के पर्यवेक्षण में शीत ऋतु के दौरान घने कोहरे के कारण घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं संभावित जनहानि को कम किए जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा यातायात के सभी जोन में विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत एन0एच–09/दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस-वे एवं अन्य मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे अनधिकृत/असुरक्षित रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया, जिससे यातायात प्रवाह को सुचारु किया जा सके तथा दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी लाई जा सके। अभियान के दौरान गलत तरीके के सड़क किनारे खड़े कुल **119** वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु वाणिज्यिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए, ताकि कोहरे की स्थिति में अन्य वाहन चालकों को दूर से ही वाहनों की स्पष्ट दृश्यता प्राप्त हो सके। साथ ही, वाणिज्यिक वाहन चालकों को कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों जैसे धीमी गति से वाहन चलाना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना, फॉग लाइट/हेडलाइट का सही उपयोग करना एवं अनावश्यक रूप से सड़क किनारे वाहन खड़ा न करने के संबंध में भी जागरूक किया गया।

अपील:-

यातायात पुलिस, गाजियाबाद द्वारा समस्त वाहन चालकों से अपील करती है, कि शीत ऋतु एवं कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अत्यधिक कोहरे की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, वाहन के सभी लाइट/रिफ्लेक्टर सही स्थिति में रखें तथा सड़क किनारे असुरक्षित रूप से वाहन खड़ा न करें। आपकी सतर्कता एवं सहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।